न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति-खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तह. शिवगंज
2. ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, पोसालिया
3. श्री शंकरलाल पुत्र ताराचन्द जी, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
4. श्री इन्दरमल पुत्र ताराचन्द जी, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
5. श्री केसरीमल पुत्र ताराचन्द जी, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
6. श्री दिलीप पुत्र ताराचन्द जी, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 10/2018

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री सतपाल पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेश मेघवाल, अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अप्रार्थी संख्या- 3 से 4 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 27 जनवरी, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति- खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक:2017-18/60 दिनांक 15.5.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पोसालिया से रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश मेघवाल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से संयुक्त जवाब तथा अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 की ओर से संयुक्त जवाब प्रस्तुत हुआ।

....पेज दो पर

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम पोसालिया का निवासी है तथा अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 भी ग्राम पोसालिया के निवासी है। प्रार्थी के पिता का नाम चुन्नीलाल जी पुत्र श्री सोकलचन्दजी है। सोकलचन्द जी के पेढी पत्रक अनुसार सोकलचन्द जी के दो पुत्र प्रताप जी व चुन्नीलाल जी है। प्रताप जी के पुत्र ताराचंद (गोदीपुत्र) है। ताराचंद जी के चार पुत्र शंकरलाल, दिलीप, इन्दरमल व केशरीमल (अप्रार्थी संख्या- 3 से 6) है तथा चुन्नीलाल जी के पुत्र बाबुलाल, भंवरलाल (प्रार्थी), शांतिलाल, प्रभुलाल व नारायणलाल है। इस प्रकार, चुन्नीलाल पुत्र सोकलचन्द जी के वारिसान प्रार्थी भंवरलाल व उसके जायन्दा भाई है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत चुन्नीलाल पुत्र सोकलचन्द जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। यह कि चुन्नीलाल पुत्र सोकलचन्द जी खण्डेलवाल का एक ममलुका व मकबुजा का परिसर वाके कस्बा पोसालिया की आबादी भूमि खण्डेलवालों के वास में आया हुआ है, जिसके उत्तर में पारसमल पुत्र भूरमल जी छीपा का मकान, दक्षिण में अमृतलाल पुत्र दीपचन्द जी खण्डेलवाल का मकान, पूर्व में कृषि भूमि व पश्चिम में दरवाजा व आम रास्ता है। उपरोक्त अडौस-पडौस के बीच वाले परिसर का कुल क्षेत्रफल 39x58 फीट अर्थात 2262 वर्गफीट है। उक्त परिसर में पुराना निर्माण चुन्नीलाल जी ने अपने जीवनकाल में जरुरत अनुसार किया था जिसमें दो कमरे, ओरी व रसोई थी। चुन्नीलाल जी की मृत्यु के बाद चुन्नीलाल की ममलुका व मकबुजा की उक्त जायदाद का उपयोग व उपभोग चुन्नीलाल जी के वारिसान प्रार्थी व प्रार्थी के जायन्दा भाई बहैसियत मालिक के संयुक्त रुप से काबिज होकर करते आ रहे है जिसमें कभी किसी ने कोई दखल, बाधा या रुकावट पैदा नही की है। चुन्नीलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में किये गये निर्माण को काफी वर्ष हो जाने से पुराने पडवे जर्जर अवस्था में होने से प्रार्थी व उसके जायन्दा भाईयों ने पुनः उक्त पडवों की मरम्मत करके उसका रहवास के काबिज बनाया। पुश्तैनी प्लॉट के पश्चिम दिशा की तरफ पहले कांटो की बाड थी। वर्तमान में प्रार्थी ने अपने खर्चे से प्लॉट की सुरक्षा हेतु सीमेन्ट के ईटो की दीवार बनाई थी। यह कि अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 की नियत में फर्क आ जाने से अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 से मेल मिलावट कर प्रार्थी की ममलुका व मकबुजा की जायदाद में अपना हिस्सा फर्जी दस्तावेज के आधार पर वर्णित कर दिनांक 15.5.2018 को ग्राम पंचायत, पोसालिया से निर्माण स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, जबकि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा दिनांक 13.12.2017 को इसी आवासीय परिसर में विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रार्थी भंवरलाल को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने अडौस पडौस वर्णित किये है जो भौतिक स्थिति के अनुसार प्रार्थी की ममलुका व मकबुजा की जायदाद का भाग है। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा निर्माण कार्य

....पेज तीन पर

हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.2018 को जारी करने से पूर्व जारी आपत्ति आमत्रंण नोटिस में विवादित परिसर की चतुर्दशी अंकित की है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जारी उक्त आमंत्रण आपत्ति नोटिस व दिनांक 13.12.2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भारी विरोधाभाष है। ग्राम पंचायत, पोसालिया ने पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पति का दो अलग अलग व्यक्तियों को दो अलग अलग प्रमाण पत्र जारी किये है उसमें प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन बाबत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सही जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 को निर्माण स्वीकृति बाबत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मौके की भौतिक स्थिति की जांच किये बगैर फर्जी दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 प्रार्थी के ममुलका व मकबुजा की सम्पति पर निर्माण करने हेतु तुले हुए है, जबकि विवादित सम्पति प्रार्थी के पुश्तैनी हको से प्राप्त सम्पति का भाग है जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के जायन्दा भाई का संयुक्त रुप से निवास है। विवादित परिसर में प्रार्थी के जायन्दा भाई नारायणलाल के नाम से वर्ष 1995 में विद्युत का संबंध है, जो लम्बे समय तक विद्युत का उपयोग नही होने से विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया था। प्रार्थी भंवरलाल ने विवादित परिसर में विद्युत कनेक्शन हेतु ग्राम पंचायत से दिनांक 13.12.2017 को अनापत्ति प्राप्त कर नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि विवादित सम्पति के मौके पर अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 का कभी भी कब्जा स्वामित्व नही रहा है जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 द्वारा प्रार्थी व उसके भाईयों को वर्ष 1987 में प्रेषित विधिक नोटिस से होती है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा कब्जे के अभाव में अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में निर्माण स्वीकृति बाबत जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा विवादित सम्पति जो प्रार्थी को पुश्तैनी हकों से प्राप्त हुई है में विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.2017 को जारी करने के बाद उसी सम्पति पर निर्माण स्वीकृति बाबत अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.5.2018 को जारी करने का कोई अधिकार नही है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में निर्माण कार्य हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक:2017-2018/60 दिनांक 15.5.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी भंवरलाल द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिसके आधार पर प्रार्थी को मालिकाना हक प्राप्त नही होता है। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 ने विधिवत रुप से अपने हिस्से की पट्टेशुदा

....पेज चार पर

भूमि पर निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.5.2018 को आपत्ति नोटिस जारी कर अन्दर मियाद आपत्ति प्रस्तुत नही होने पर ग्राम पंचायत ने मौका देखकर व दस्तावेज की जांच कर विधिवत निर्माण स्वीकृति है। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में वंशावली गलत दर्शाई है एवं निगरानी आवेदन में जिस नाप व चतुर्दशी की सम्पति ग्राम पोसालिया में चुन्नीलाल पुत्र सांकलचंदजी खण्डेलवाल के नाम होना दर्शाया है, वह सम्पति अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के स्वामित्व मालकी की सम्पति है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हकूक व स्वामित्व नही है। निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने प्रताप जी को सांकलाजी का पुत्र होना गलत बताया है, बल्कि हकीकत यह है कि गेना पुत्र रुपाजी के दो पुत्र भैराजी व भीमाजी थे। भेराजी के पुत्र प्रताप जी व प्रताप जी के गोदी पुत्र ताराचंद जी है जो सांकलचन्द जी के पुत्र थे जिन्हें प्रताप जी ने गोद लिया था। ताराचंद जी के पुत्र शंकरलाल, दिलीप, इन्दरमल व केशरीमल है। भीमाजी के पुत्र सांकलचंदजी थे। सांकलचंद जी के दो पुत्र ताराचंद जी व चुन्नीलाल जी थे एवं ताराचंद जी को प्रताप जी ने गोद लिया था। चुन्नीलाल पुत्र सांकलचंद जी के पुत्र बाबुलाल, शांतिलाल, भंवरलाल (प्रार्थी), प्रभुलाल व नारायण है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में गलत वंशावली अंकित करके मात्र सम्पति को हडपने की नियत से यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में जिस नाप व चतुर्दशी की सम्पति अंकित की है वह सम्पति अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के मालकी स्वामित्व की सम्पति है, यह सम्पति प्रार्थी के पिता चुन्नीलाल जी द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के पिता ताराचंद जी को पंजीकृत विक्रय विलेख से 1200/- रुपये में बेचान कर दी थी जो 1/3 हिस्सा है एवं उसके बाद चुन्नीलालजी को रुपयो की आवश्यकता होने से उक्त सम्पति का 2/3 हिस्सा भी पंजीकृत दस्तावेज संख्या 226 दिनांक 22.8.1966 के द्वारा प्रार्थी के पिता चुन्नीलाल जी ने अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के पिता ताराचंद जी से रुपये 1500/- का कर्ज लेकर अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पिता ताराचंद जी के पक्ष में रहन रखा था एवं ब्याज सहित पुन: राशि भुगतान करने पर रहन रखी गई सम्पति को पुन: रहन मुक्त किया जाना था, लेकिन प्रार्थी व उसके भाईयों ने आज दिन तक राशि अदा कर उक्त 2/3 हिस्सा रहन मुक्त नही करवाया है। प्रार्थी की कोई सम्पति मौके पर स्थित नही है, बल्कि हकीकत यह है कि रहन रखी गई सम्पति पर दो कमरे बने हुये थे वं प्रार्थी तथा उसके चार भाईयों के मांगनी करने पर रहने हेतु दिया था जिसका कोई किराया नही था, लेकिन अब प्रार्थी की नियत में खोट आ गई एवं सम्पति को हडप करने के आशय से गलत कथन कर उक्त सम्पति में रद्दोबदल करने का प्रार्थी को कोई

....पेज पांच पर

हक नही है। यह कि अप्रार्थी संख्या 3 से 6 उक्त विवादित सम्पति के स्वामी व मालिक है जिन्होनें ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। जबकि प्रार्थी भंवरलाल ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित सम्पति को स्वयं की मालकी स्वामित्व की सम्पति बताते हुए विद्युत कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.2017 को प्राप्त किया है जिसके आधार पर प्रार्थी को विवादित सम्पति में किसी तरह के कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, पोसालिया से प्राप्त रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि हमारा पुश्तैनी प्लोट खण्डेलवालों की सेरी, पोसालिया जिसके पट्टा संख्या 60 सर्वे नम्बर 368 दिनांक 16.11.1885 है में हमारे हिस्से के 1/3 भाग पर निर्माण कार्य हेतु एन.ओ.सी. दिलावे। अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त पट्टा संख्या 60 सर्वे नम्बर 368 दिनांक 16.11.1885 व पंजीकृत दस्तावेज़ संख्या 226 दिनांक 22.8.1966 जो उप पंजीयक, शिवगंज में पंजीकृत है की छाया प्रति भी ग्राम पंचायत, पोसालिया में प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत, पोसालिया ने अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के आवेदन पर ग्राम पंचायत, पोसालिया की बैठक दिनांक 05.5.2018 में प्रस्ताव संख्या 2 इस आशय का पारित किया कि श्री शंकरलाल, इन्दरमल, केशरीमल, दिलीप पुत्र श्री ताराचन्द खण्डेलवाल, निवासी- पोसालिया ने खण्डेलवालों की सेरी में स्थित प्लोट जिसके पट्टा संख्या 60 सर्वे नम्बर 368 दिनांक 16.11.1885 है इस भूखण्ड का इनके हिस्से का 1/3 भाग पर निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति चाही है, इसलिये उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य के संबंध में 7 दिवस की अवधि का आपत्ति नोटिस जारी किया जावे एवं यदि कोई आपत्ति प्राप्त नही होती है तो नियमानुसार शुल्क लेकर एन.ओ.सी. जारी की जावे। जिस पर ग्राम पंचायत, पोसालिया ने 7 दिवस की अवधि का आपत्ति आमंत्रण नोटिस क्रमांक 44 दिनांक 05.5.2018 को जारी किया एवं जिसके अन्दर मियाद कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत, पोसालिया ने रसीद संख्या 348 दिनांक 15.5.2018 के द्वारा मकान निर्माण स्वीकृति शुल्क राशि 1500/- रुपये वसूल कर अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 60 सर्वे नम्बर 368 दिनांक 16.11.1885 की भूमि में अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के 1/3 हक हिस्से के भूखण्ड पर निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक:2017-18/60 दिनांक 15.5.2018 को जारी किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया में आवेदन के साथ प्रस्तुत पंजीकृत दस्तावेज संख्या 66 दिनांक

....पेज छ: पर

22.8.1966 की छाया प्रति के अवलोकन से यह पाया गया कि चुन्नीलाल जी पुत्र सोकलाजी ने बहैसियत खुद व नाबालिग इनके सामलाती लडके बाबुलाल, शांतिलाल, भंवरलाल, प्रभुलाल व नारायण की ओर से ताराचंदजी पुत्र प्रतापजी, निवासी- पोसालिया के पक्ष में ब्याज रहन दस्तावेज निष्पादित किया था जिसमें यह उल्लेख किया हुआ है मौजा पोसालिया में खण्डेलवालों की वास में हमारे वडील गेना, भेरा, भीमा, रुपा उतर दिसेके नाम के पट्टे का निम्नलिखित नाप व अडौस पडौस का एक मकान पुराना बना बनाया है जिसमें का दो हिस्सा का मकान हम कर्ज लेने वाले के मालकी व कब्जे का है व एक हिस्से का मकान आप कर्ज देने वाले का है। उक्त पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 22.8.1966 में यह भी उल्लेख किया है कि हमने हमारे दो हिस्सो के मकान पर कर्जदारी चुकाने का आजरोज आपसे रुपये 1500/- अक्षरे रुपये पन्द्रह सौ रोकडा बाजार चलती ब्याज प्रति सैकडा प्रतिमाह अक्षरे बारह आना लेखा से उधार लिये है और इस रकम व इसके होने वाली ब्याज की रकम हमारा उपरोक्त पट्टा संख्या 60 सर्वे नंबर 368 तारीख 16.11.1885 में का दो हिस्सा बना बनाया गिरवे रखा है सो इस पर पहिला हक रकम वसूली का आप कर्ज देने वाले का रहेगा और चुगती रकम ब्याज सहित भर देने पर मकान दो हिस्सो का गिरवे से छूटेगा। उक्त पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 22.8.1966 में भूखण्ड का नाप व चतुर्दशी भी अंकित है जिसमें उत्तर दिशा में सेवग राजा मना वाली जगह है जिसके पास में ताराचंद प्रतापजी का पट्टा नंबर 60 में का एक हिस्सा होना अंकित किया हुआ है। इस प्रकार, उक्त पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 22.8.1966 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 60 सर्वे नंबर 368 दिनांक 16.11.1885 के भूखण्ड में 1/3 हिस्सा ताराचंद जी पुत्र प्रतापजी का है तथा 2/3 हिस्सा जो चुन्नीलाल पुत्र सोकलाजी का था उसे चुन्नीलाल पुत्र सोकलाजी द्वारा उक्त ब्यान रहन दस्तावेज दिनांक 22.8.1966 के द्वारा ताराचंद जी पुत्र प्रताप जी के पक्ष में रहन रखा था।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 3 से 6 के पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 60 सर्वे नम्बर 368 दिनांक 16.11.1885 की भूमि में इनके 1/3 हक हिस्से के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने हेतु अनापत्ति पत्र क्रमांक:2017-18/60 दिनांक 15.5.2018 को जारी किया है, जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता या विधिक त्रृटि नही पाई जाती है।

अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.02.13 15:51:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: